न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 27/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00207

उनवान

सुम्मेरा पुत्र चिरमोली जाति जाटव उम्र 70 साल निवासी चुरारी गुर्जर सब तहसील उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

घोट्या पुत्र नहना जाति कोली, निवासी नादरी, तहसील सिकराय जिला दौसा।

.....रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 27.06.2012 प्र.संख्या 01/2012 उनवानी घोट्या बनाम सुम्मेरा।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गम्मन सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम चुरारी गूर्जर को वादी/रैस्पो0 ने करीब अठारह वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1993 को खरीदा था तथा उसी दिन से वादी/रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी प्रतिवादी/अपीलाण्ट के नाम चली आ रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है समस्त कार्यवाही रैस्पो0 ने तहसील कर्मचारियों से साज कर की गयी है। रैस्पो0 द्वारा वयनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है वह एक कूटरचित दस्तावेज है, जिसको निरस्त कराये जाने बाबत् वाद, सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं ना ही उन पर कोई सम्मन का निर्वहन ही हुआ है। मियाद के संबंध में उनका तर्क है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की बैक पर पारित हुआ है अतः जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है एवं मियाद बाहर अपील पेश करने का कोई उचित कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य रहती है। विवादित आराजी को रैस्पो0 ने दिनांक 18.08.1993 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया था तथा तभी से विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। उक्त विक्रय पत्र को आज तक सुम्मेरा ने किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। विक्रय पत्र आज भी अस्तित्व में हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप बाबत् कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2008 पेज 1095, 2017 पेज 117, 2010 पेज 1446 का हवाला देते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2012 की अपील दिनांक 14.08.2017 को लगभग 5 वर्ष 3 माह पश्चात् विलम्ब से पेश की गयी है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील पेश करने में हुयी देरी का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है। जब विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 5 वर्ष 3 माह की अवधि का विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अपीलांट की अपील स्पष्ट रूप से मिंयाद बाहर है। अतः हम अपील मिंयाद के बिंदु पर ही खारिज योग्य पाते हैं।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि अपीलाण्ट ने अपनी खातेदारी की विवादित आराजी का विक्रय रैस्पो0 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 18.08.1993 को किया गया है एवं उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। अतः विक्रय पत्र आज भी अस्तित्व में हैं। इसके अलावा रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विक्रय पत्र एवं अपने कब्जे काश्त को अपनी दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहो द्वारा साबित किया है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। बिना दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक कथन प्रभावहीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया है जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official